न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 566/2022

अनवान : –

1. हरीशचन्द्र पुत्र हनुमान जाति स्वामी निवासी परलीका तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. हनुमान पुत्र नानुराम जाति स्वामी निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. आत्माराम पुत्र हनुमान जाति स्वामी निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. कलावती पुत्री हनुमान जाति स्वामी निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. कमला पुत्री हनुमान जाति स्वामी निवासी परलीका तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **वादी**

निर्णय दिनांकः 4/01/24

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा 20 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 130/125 की कुल 6.5780 हैक्ट व खाता संख्या 16/16 की कुल 4.3010 हैक्ट भूमि में से 253/2151 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी तथा प्रतिवादी सं0 2 ता 4 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है।

प्रतिवादी स0 3 व 4 जो की वादी की बहिन है तथा प्रतिवादी स0 1 की पुत्रीया है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी एवं प्रतिवादी स0 1 के पक्ष मे परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग रोही मौजा 20 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 130/125 की कुल 6.5780 हैक्ट भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 बहिब काबिज है तथा रोही मौजा 20 एनटीआर के खाता संख्या 16/16 की कुल 4.3010 हैक्ट भूमि में से 253/2151 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 यथावत काबिज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 12:13:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ़)

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री मनीराम सरावग ने वकालतनामा पेश किया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की ओर से वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब दावा पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता वादी ने बहस में अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण स0 2 ता 4 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी स0 3 व 4 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 की तरफ से वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब दावा पेश हो चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 20 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 130/125 की कुल 6.5780 हैक्ट व खाता संख्या 16/16 की कुल 4.3010 हैक्ट भूमि में से 253/2151 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझाा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 की तरफ से अधिवक्ता श्री मनीराम सरावग द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब दावा पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 को कोई एतराज नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई भी वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीया स0 3 व 4 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 12:13:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

लिया है। वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 4 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 20 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 130/125 की कुल 6.5780 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व खाता संख्या 16/16 की कुल 4.3010 हैक्ट भूमि में से 253/2151 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 4/01/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 12:13:36 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या – 566 / 2022

अनवान : –

1. हरीशचन्द्र पुत्र हनुमान जाति स्वामी निवासी परलीका तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. हनुमान पुत्र नानुराम जाति स्वामी निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. आत्माराम पुत्र हनुमान जाति स्वामी निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. कलावती पुत्री हनुमान जाति स्वामी निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. कमला पुत्री हनुमान जाति स्वामी निवासी परलीका तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 566 सन 2022 निर्णय दिनांक 4/01/24

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति तथा वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक मुताबिक अनुतोष वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 20 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 130 / 125 की कुल 6.5780 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व खाता संख्या 16 / 16 की कुल 4.3010 हैक्ट भूमि में से 253 / 2151 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक 4/01/24 को में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 12:13:36 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर